UPBJ010052182026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।

प्रभारी अधिकारी– प्रशांत मित्तल, (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP06174

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः–1885/2026

उवैद मलिक बनाम सरकार

मुकदमा अपराध संख्याः–156/2025
धारा–152, 61(2)क बी0एन0एस0 एवं
धारा– 69ए आई0टी0 एक्ट
थाना–नांगल, जनपद बिजनौर।

दिनाँक–16–06–2026

01– यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी–अभियुक्त उवैद मलिक पुत्र रहीश, निवासी मौ0 शाहचन्दन, कस्बा व थाना चॉदपुर, जिला बिजनौर, हाल निवासी ग्राम टाण्डा माईदास, थाना नगीना देहात, जिला बिजनौर, की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–156/2025, अन्तर्गत धारा 152, 61(2)क बी0एन0एस0 व धारा 69ए आई0टी0 एक्ट, थाना नांगल, जनपद बिजनौर के प्रकरण में जमानत प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किए गए है। उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र शपथपत्र मिनजानिब सायरा द्वारा समर्थित है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

02– जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

03– संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा उप–निरीक्षक विनोद कुमार ने घटना की रिपोर्ट इस आशय की लिखायी कि थाना नांगल क्षेत्र के ग्राम सौफतपुर का मैजुल Terrorist in making है। अत्याधुनिक रायफलों और हैंड ग्रैनेड के साथ इंस्ट्राग्राम लाईव करता है। बिजनौर पुलिस संज्ञान ले, जॉच करने, ग्राम सौफतपुर जाकर गयी तो मैजुल पुत्र शोकीन, निवासी ग्राम सौफतपुर, थाना नांगल, बिजनौर उम्र करीब 22 वर्ष मोबाईल नं0 87914XXXXX को परिजनों ने 03 वर्ष पूर्व साउथ अफ्रीका जाना बताया, के द्वारा अपनी इंस्टाग्राम आई0डी0 maijul king 007 से अपने साथी आकिब इंस्टाग्राम आईडी aakib khan ak47 333 4444 व दूसरी आई0डी0 aakib khan 302 333 4444 व अन्य के साथ इंस्टाग्राम पर लाईव आकर रील बनाकर आकिब द्वारा प्रतिबंधित अस्लाह ए.के.–47 व हैंड ग्रेनेड का प्रदर्शन किया है जिससे जनता में भय व्याप्त है। क्षेत्र में लोग तरह

तरह की बाते कर रहे है।

04– वादी की तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मुकदमा अपराध संख्या 156/2025, अन्तर्गत धारा 69ए आई0टी0एक्ट व 7/25 आयुध अधियिम का अभियोग अभियुक्तगण मैजुल, आकिब व अज्ञात के विरूद्व पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना उक्त प्रकरण में धारा 152, 61(2)क बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी।

05– प्रार्थी–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि उसे वाद उपरोक्त में झूॅठा व फर्जी फंसाया गया है। वे निर्दोष है। प्रार्थी ने इस प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी के विरुद्ध नामजद एफ0आई0आर0 नहीं है। प्रार्थी के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। पुलिस ने घर से उठाकर झूठा चालान किया है। उसके द्वारा इंस्टाग्राम पर कभी कोई प्रतिबंधित अस्लाह ए0के0 47 व हैण्ड ग्रेनेड का कोई प्रदर्शन नहीं किया गया है। प्रार्थी ने कभी इंस्टाग्राम पर लाईव आकर कभी कोई ऐसा कृत्य नहीं किया है, जिससे भारत की सम्प्रभुता, एकता, अखण्डता को खतरा हो और न ही प्रार्थी ने कभी कोई ऐसा आपराधिक षडयंत्र रचा है। प्रार्थी के पास से किसी प्रकार का कोई असलाह बरामद हुआ है। प्रार्थी दिनांक 10–04–2025 से जिला कारागार, बिजनौर में निरुद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त दौराने मुकदमा अपनी उचित जमानत देने को तैयार हैं। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

06– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये तर्क किया गया कि अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र करके भारत की सम्प्रभुता, एकता, अखण्डता को खतरा उत्पन्न करने के आशय से इंस्टाग्राम पर प्रतिबंधित अस्लाह ए0के0 47 व हैण्ड ग्रेनेड का लाईव प्रदर्शन किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। सह अभियुक्तगण जुल्फिकार, आरिफ व जलाल हैदर की जमानत माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा पूर्व में निरस्त की जा चुकी है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

07– केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण के विरूद्व सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचकर भारत की सम्प्रभुता, एकता, अखण्डता को खतरे में डालने वाला कार्य किए जाने के उददेश्य से इंस्टाग्राम पर प्रतिबंधित असलाह ए0के0 47 व हैण्ड ग्रेनेड का लाईव प्रदर्शन कर जनता को भयग्रस्त किए जाने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त ने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में कहा है कि वह गुजरात में सैलून की दुकान पर काम करता था, वहीं पर उसकी दोस्ती जलाल हैदर उर्फ समीर अहमद नाम के व्यक्ति से हो गई। जलाल हैदर उर्फ समीर अहमद ने ही उसकी दोस्ती मैजुल (जो कि साउथ अफ्रीका में सैलून का काम करता है) से करायी थी। मैजुल के माध्यम से उसकी आकिब से दोस्ती हो गई थी। आकिब साऊदी अरेबिया में ड्राईवरी का कार्य करने के लिये गया हुआ है। आकिब इंस्टाग्राम लाईव पर आकर जिहाद करने के लिये कहता

था तथा हिन्दू लोगों के बारे में गलत बातें करता था और हिन्दूओं के खिलाफ इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी डालता था। प्रार्थी/ अभियुक्त ने यह भी कहा है कि उसने तथा सह–अभियुक्तगण मैजुल व जलाल हैदर उर्फ समीर ने भी आकिब को फॉलो किया तथा उसके साथ इंस्टाग्राम पर लाइव विडियो कॉल पर आते थे और क्षेत्र के मुस्लिम लड़कों को आकिब के साथ जोड़ते थे तथा जिहाद के लिये उकसा रहे थे। इस प्रकार अभियुक्त की भूमिका उपरोक्त अपराध में रही है। सह अभियुक्तगण जुल्फिकार, आरिफ व जलाल हैदर की जमानत दिनॉक 02.06.2026 को निरस्त हो चुकी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है।

08– अतः अपराध की प्रकृति एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, मामले के गुणदोष पर कोई टीका–टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त उवैद मलिक का मुकदमा अपराध सं0–156/2025, अन्तर्गत धारा 152, 61(2)क बी0एन0एस0 व धारा 69 ए आई0टी0 एक्ट, थाना नांगल, जनपद बिजनौर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पत्र निरस्त किया जाता है।

(प्रशांत मित्तल)
प्रभारी, सत्र न्यायाधीश,
बिजनौर।

Digitally signed by PRASHANT MITTAL
Date: 2026.06.16 16:51:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court